पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1163
दिनांक-14.07.2026

जोन – पश्चिमी | थाना – दुबग्गा

नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी एवं वितरण में संलिप्त एक और अभियुक्त गिरफ्तार, 700 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा एवं 4,110 रुपये की वास्तविक मुद्रा बरामद।

- **थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा नकली भारतीय मुद्रा के अवैध कारोबार में संलिप्त एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 रुपये का 01 एवं 100 रुपये के 02, कुल 700 रुपये के नकली भारतीय नोट बरामद हुए।**
- **नकली नोटों को बाजार में खपाकर अर्जित की गई 4,110 रुपये की वास्तविक भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई।**
- **पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह नकली नोटों को विभिन्न स्थानों पर चलाकर एवं कम कीमत पर उपलब्ध कराकर आर्थिक लाभ अर्जित करता था।**
- **उक्त गिरफ्तारी पूर्व में 6,500 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर की गई।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में आपराधिक इतिहास है।**
- **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा नकली भारतीय मुद्रा के अवैध कारोबार एवं उससे जुड़े अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान निरंतर जारी है।**

01- कार्यवाही।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जनपद में नकली भारतीय मुद्रा के प्रचलन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुबग्गा पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से नकली भारतीय मुद्रा एवं नकली नोटों को चलाकर अर्जित की गई वास्तविक मुद्रा बरामद की गई है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **11.07.2026** को थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा एक कार्रवाई के दौरान अभियुक्त **संजीव कुमार मिश्रा** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **6,500 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा** बरामद की गई थी। इस संबंध में थाना दुबग्गा पर **मु0अ0सं0 0212/2026** धारा **179/180 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को दिनांक **12.07.2026** को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त संजीव कुमार मिश्रा ने खुलासा किया कि बरामद नकली नोट उसे **सुधीर यादव** द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक **13.07.2026** को मुखबिर की सूचना पर थाना दुबग्गा पुलिस टीम ने रात्रि लगभग **21:00 बजे** अभियुक्त **सुधीर यादव** को **बरी कलाँ पावर हाउस के पीछे** से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **500 रुपये का एक नकली नोट तथा 100 रुपये के दो नकली नोट**, कुल **700 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा** बरामद हुई।

03-पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से की गई पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह नकली भारतीय मुद्रा को विभिन्न स्थानों पर कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराता था तथा बाजार, दुकानों एवं शराब की दुकानों सहित अन्य स्थानों पर भी अवसर मिलने पर नकली नोटों को असली मुद्रा के रूप में चलाता था।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि नकली नोटों के प्रचलन से प्राप्त वास्तविक धनराशि से वह अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। पूछताछ के आधार पर पुलिस द्वारा **4,110 रुपये की वास्तविक भारतीय मुद्रा**, जिसे अभियुक्त ने नकली नोट चलाकर प्राप्त करना स्वीकार किया, भी बरामद कर नियमानुसार सील कर सुरक्षित कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

04-गिरफ्तार अभियुक्त-

सुधीर यादव पुत्र सुमेर यादव, निवासी बरी कलाँ, पावर हाउस के पीछे, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 25 वर्ष।

05-पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0सं0 **0212/2026**
- धारा **179/180 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)**
- थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ

06-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 **0271/2020**, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 **0456/2025**, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

07-बरामदगी

- 500 रुपये का **01 नकली नोट**।
- 100 रुपये के **02 नकली नोट**।
- कुल **700 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा**।
- नकली नोटों को चलाकर प्राप्त **4,110 रुपये की वास्तविक भारतीय मुद्रा**।

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- प्रभारी निरीक्षक **श्रीकान्त राय**, थाना दुबग्गा।
- उपनिरीक्षक **मसीद खान**।
- कांस्टेबल **विनोद कुमार**।
- कांस्टेबल **शिवम सिंह**।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1167
दिनांक-14.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **नाबालिग पीड़िता/ अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **10.07.2026** को थाना मड़ियांव पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उसकी **17 वर्षीय पुत्री** को एक युवती मेकअप के बहाने घर से बाहर बुलाकर ले गई, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। वादिनी ने संदेह व्यक्त किया कि नामजद अभियुक्त **रवि** द्वारा उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़ियांव पर **मु0अ0सं0 331/2026** धारा **137(2)/87 बीएनएस** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। पीड़िता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर लगातार तलाश-पतारसी, सुरागरसी एवं संभावित स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक **14.07.2026** को थाना मड़ियांव पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वांछित पीड़िता एक युवक के साथ **यादव चौराहा से आगे सर्विस लेन** के किनारे मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर **पीड़िता को सकुशल बरामद** कर लिया तथा उसके साथ मौजूद नामजद अभियुक्त **रवि कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र, उम्र लगभग 24 वर्ष**, निवासी किराये का मकान, निकट तुलसी प्लाजा चौराहा, सेक्टर-12, इन्दिरानगर, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ (स्थायी पता- तिलपुरा थाना मसौली जनपद बाराबंकी) को उसके द्वारा कारित जुर्म से अवगत कराते हुए यादव चौराहा से आगे सर्विस लेन के किनारे के पास चौकी घैला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दौराने गिरफ्तारी/ निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/ निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. रवि कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी किराये का मकान निकट तुलसी प्लाजा चौराहा सेक्टर-12 इन्दिरानगर थाना इंदिरानगर जनपद लखनऊ स्थाई पता ग्राम तिलपुरा थाना मसौली जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष (व्यवसाय- साड़ी/ सूट बेचेने का काम)

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 331/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मड़ियांव लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01.उ0नि0 गया प्रसाद मय हमराह
02.उ0नि0 आनन्द कुमार सिंह
03.म0का0 राधिका
04.का0 नरेन्द्र प्रताप यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1168

दिनांक-14.07.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम जोन-पश्चिमी की सफलता।**
- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता की स्कूटी खोज कर सुपुर्द किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता श्री रामप्रकाश पुत्र रामलखन यादव निवासी 66 ऐशबाग मोतीनगर लखनऊ द्वारा अपनी स्कूटी मैजस्ट्रो वाहन रजि0 नं0 UP32ED3734 घर के बाहर से चोरी हो जाने की सूचना दी।

02.कार्यवाही विवरणः-

1- उपरोक्त घटना के संबंध मे थाना नाका पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 01 घण्टे के अंदर शिकायतकर्ता श्री रामप्रकाश की स्कूटी मैजस्ट्रो वाहन रजि0 नं0 UP32ED3734 को ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से खोज कर उनके सुपुर्द किया गया।

2- 03-बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- **उ0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।**
- **हे0का0 उमराव यादव थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1164
दिनांक-14.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **चोरी का खुलासाः- थाना पीजीआई पुलिस ने 04 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 20 लाख रुपये से अधिक के जेवरात बरामद।**

01-कार्यवाहीः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- वादिनी श्रीमती कविता यादव पत्नी संजय यादव निवासी न्यू ग्रीन सिटी, कॉलोनी हैबतमऊ, मवैया, थाना पीजीआई, लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक-08.07.2026 को आवेदिका अपने छोटे बेटे का मुंडन करवाने विंध्याचल मिर्जापुर चले गये थे। दिनांक-10.07.2026 को वापस आये तो देखा कि घर के दरवाजो के ताले टूटा हुआ था अंदर घुसकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक-10.07.2026 को थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0-366/2026, धारा-305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
- उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 03 टीमों गठन किया गया। जिनके द्वारा करीब 150 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया, घटना स्थल पर पूछताछ करते हुए लगातार भिन्न भिन्न स्थानो पर दबिस दी गयी।
- आज दिनांक-14.07.2026 को कालिन्दी पार्क की ओर जाने वाली नहर के किनारे सुनसान सड़क से अभियुक्त 1. अर्जुन रावत पुत्र ब्रह्मादीन, 2. सुदैफ अली उर्फ समर पुत्र साबिर अली, 3. विनय कुमार पुत्र तिलकराम, 4.दीपक यादव पुत्र अनिल को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए, आवश्यक विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडीः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण एक दूसरे के मित्र है। अभियुक्तगण बन्द घरों की रेकी करते है। जब अभियुक्तगणों को यह विश्वास हो जाता है कि घर बन्द है घर पर कोई नही है, तो अभियुक्तगण सुनियोजित तरीके से बन्द घरों का ताला तोड कर कीमती सामान, सोने-चाँदी का आभूषण,रुपया आदि सामान चोरी कर लेते है। चोरी के बाद सामान को आपस में बाट लेते है और पुलिस से बचने के लिए दूसरे जिलों/राज्यों में भाग जाते है।

05-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अर्जुन रावत पुत्र ब्रह्मादीन निवासी पिपरौली थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष ।
(शिक्षा-अनपढ, व्यवसाय- पेंटिग का काम करता है।)
2. सुदैफ अली उर्फ समर पुत्र साबिर अली निवासी मऊ पश्चिम टोला थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष ।
(शिक्षा-09th , व्यवसाय-पेंटिग का काम करता है।)
3. विनय कुमार पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष।
(शिक्षा-07th ,व्यवसाय-हाउस कीपिंग का काम करता है।)
4. दीपक यादव पुत्र अनिल कुमार निवासी हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष।
(शिक्षा-08th व्यवसाय-टैक्सी ड्राइवर है।)

06-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 366/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

07-बरामदगी विवरणः-

- 02 अदद कंगन पीली धातु
- 02 अदद हार पीली धातु
- 03 अदद अंगूठी पीली धातु
- 01 अदद लाकेट पीली धातु
- 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
- 02 अदद अंगुठी पीली धातु
- 01अदद नथिया पीली धातु
- 02 अदद झुमका पीली धातु
- 04 अदद गुरिया पीली धातु
- 01 अदद करधन सफेद धातु
- 04 अदद बिछिया सफेद धातु
- 02 अदद पावजेब सफेद धातु
- 03 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 01अदद चैन सफेद धातु
- 06 अदद कड़ा सफेद धातु

08-आपराधिक इतिहासः-

- ***अभियुक्त अर्जुन रावत के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-***

1. मु0अ0सं0-243/2023 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-758/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-212/2023 धारा 379/411आईपीसी थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-364/2023 धारा 379/411 बीएनएस थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

- ***अभियुक्त सुदैफ अली उर्फ समर के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

  1.मु0अ0सं0-232/2025 धारा 351(2)/131/309(4)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

  2.मु0अ0सं0-146/2024 धारा 323/427/506 आईपीसी थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

  3.मु0अ0सं0-657/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।

- ***अभियुक्त विनय कुमार के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

  1. मु0अ0सं0-401/2018 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।
  2. मु0अ0सं0-801/2021 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।

- ***अभियुक्त दीपक यादव के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

  1. मु0अ0सं0-756/2021 धारा 379/411/420 आईपीसी थाना कोतवाली सदर जनपद सीतापुर ।
  2. मु0अ0सं0-795/2023 धारा 341/354/354(घ)/504/506आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।
  3. मु0अ0सं0-393/2023 धारा 401आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ ।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार शर्मा
2. उ0नि0 श्री अखण्ड शुक्ला
3. उ0नि0 श्री नितिन कुमार सिंह
4. उ0नि0 श्री अर्पित सिंह
5. हे0का0 आकाश कुमार गुप्ता
6. का0 हुकुम चन्द
7. का0 संदीप यादव
8. का0 अनिल कुमार
9. का0 दान बहादुर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1164
दिनांक-14.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **चोरी का खुलासा:- थाना पीजीआई पुलिस ने 04 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 20 लाख रुपये से अधिक के जेवरात बरामद।**

01-कार्यवाही:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

- वादिनी श्रीमती कविता यादव पत्नी संजय यादव निवासी न्यू ग्रीन सिटी, कॉलोनी हैबतमऊ, मवैया, थाना पीजीआई, लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक-08.07.2026 को आवेदिका अपने छोटे बेटे का मुंडन करवाने विंध्याचल मिर्जापुर चले गये थे। दिनांक-10.07.2026 को वापस आये तो देखा कि घर के दरवाजो के ताले टूटा हुआ था अंदर घुसकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक-10.07.2026 को थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0-366/2026, धारा-305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
- उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 03 टीमों गठन किया गया। जिनके द्वारा करीब 150 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया, घटना स्थल पर पूछताछ करते हुए लगातार भिन्न भिन्न स्थानो पर दबिस दी गयी।
- आज दिनांक-14.07.2026 को कालिन्दी पार्क की ओर जाने वाली नहर के किनारे सुनसान सड़क से अभियुक्त 1. अर्जुन रावत पुत्र ब्रह्मादीन, 2. सुदैफ अली उर्फ समर पुत्र साबिर अली, 3. विनय कुमार पुत्र तिलकराम, 4.दीपक यादव पुत्र अनिल को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए, आवश्यक विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण एक दूसरे के मित्र है। अभियुक्तगण बन्द घरों की रेकी करते है। जब अभियुक्तगणों को यह विश्वास हो जाता है कि घर बन्द है घर पर कोई नही है, तो अभियुक्तगण सुनियोजित तरीके से बन्द घरों का ताला तोड कर कीमती सामान, सोने-चाँदी का आभूषण,रुपया आदि सामान चोरी कर लेते है। चोरी के बाद सामान को आपस में बाट लेते है और पुलिस से बचने के लिए दूसरे जिलों/राज्यों में भाग जाते है।

05-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अर्जुन रावत पुत्र ब्रह्मादीन निवासी पिपरौली थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष ।
   (शिक्षा-अनपढ, व्यवसाय- पेंटिग का काम करता है।)
2. सुदैफ अली उर्फ समर पुत्र साबिर अली निवासी मऊ पश्चिम टोला थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष ।
   (शिक्षा-09th , व्यवसाय-पेंटिग का काम करता है।)
3. विनय कुमार पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष।
   (शिक्षा-07th ,व्यवसाय-हाउस कीपिंग का काम करता है।)
4. दीपक यादव पुत्र अनिल कुमार निवासी हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष।
   (शिक्षा-08th व्यवसाय-टैक्सी ड्राइवर है।)

06-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 366/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

07-बरामदगी विवरणः-

- 02 अदद कंगन पीली धातु
- 02 अदद हार पीली धातु
- 03 अदद अंगूठी पीली धातु
- 01 अदद लाकेट पीली धातु
- 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
- 02 अदद अंगुठी पीली धातु
- 01अदद नथिया पीली धातु
- 02 अदद झुमका पीली धातु
- 04 अदद गुरिया पीली धातु
- 01 अदद करधन सफेद धातु
- 04 अदद बिछिया सफेद धातु
- 02 अदद पावजेब सफेद धातु
- 03 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 01अदद चैन सफेद धातु
- 06 अदद कड़ा सफेद धातु

08-आपराधिक इतिहासः-

- ***अभियुक्त अर्जुन रावत के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-***

  1. मु0अ0सं0-243/2023 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
  2.मु0अ0सं0-758/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
  3.मु0अ0सं0-212/2023 धारा 379/411आईपीसी थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ।
  4.मु0अ0सं0-364/2023 धारा 379/411 बीएनएस थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

- ***अभियुक्त सुदैफ अली उर्फ समर के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

  1.मु0अ0सं0-232/2025 धारा 351(2)/131/309(4)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

  2.मु0अ0सं0-146/2024 धारा 323/427/506 आईपीसी थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

  3.मु0अ0सं0-657/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।

- ***अभियुक्त विनय कुमार के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

  1. मु0अ0सं0-401/2018 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।

  2. मु0अ0सं0-801/2021 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।

- ***अभियुक्त दीपक यादव के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

  1. मु0अ0सं0-756/2021 धारा 379/411/420 आईपीसी थाना कोतवाली सदर जनपद सीतापुर।

  2. मु0अ0सं0-795/2023 धारा 341/354/354(घ)/504/506आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।

  3. मु0अ0सं0-393/2023 धारा 401आईपीसी थाना पीजीआई लखनऊ।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार शर्मा
2. उ0नि0 श्री अखण्ड शुक्ला
3. उ0नि0 श्री नितिन कुमार सिंह
4. उ0नि0 श्री अर्पित सिंह
5. हे0का0 आकाश कुमार गुप्ता
6. का0 हुकुम चन्द
7. का0 संदीप यादव
8. का0 अनिल कुमार
9. का0 दान बहादुर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1169
दिनांक - 14.07.2026

क्राइम ब्रांच

अंतरराष्ट्रीय फर्जी काल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिको से साइबर ठगी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग 78/2026 धारा 3(5)/61(2)/318(4)/319(2)/336(3)/337/338/ 339, 340(2) बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट, धारा 42(2) टेलीकॉम एक्ट-2023 व कारवाई के दौरान 122 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी अभियोग के सम्बन्ध में प्रगति आख्या

विगत 01.07.2026 को साइबर क्राइम सेल व साइबर क्राइम थाना की टीम द्वारा संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ था, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। कार्रवाई के दौरान कुल 119 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338, 339, 340(2) बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट, धारा 42(2) टेलीकॉम एक्ट-2023 पंजीकृत होकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में मुख्य सरगना 25000/- इनामिया विनीत वशिष्ठ व अन्य 02 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है। अभियोग के संबंध में की गयी प्रगति---

अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर धोखाधड़ी प्रकरण की विवेचना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अमेरिका के स्कैमर्स के द्वारा अमेरिकी टोल फ्री न0 को खरीदा जाता था जिसे भारत के स्कैमर्स को WHATSAPP ग्रुप के माध्यम से शेयर किया जाता था। उक्त टोल फ्री न0 पर काल मुफ्त होती थी मुक्त होने के कारण यह अमेरिकन नागरिको को भ्रमित कर इनके न0 पर काल कर शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री न0 पर SMS BOMBARDING किया करते थे। लखनऊ पुलिस के क्राइम ब्रांच के साइबर सेल के द्वारा फ्राड में प्रयोग किये गये टोल फ्री न0 की पहचान की गयी है जैसे -- +1888624XXXX की पहचान की गई है। इन नंबरों को उ0प्र0पुलिस मुख्यालय के माध्यम से (Through Proper Channel) अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सी के साथ साझा किया जाएगा। जिससे अमेरिका की सुरक्षा एजेन्सी वहाँ के स्कैमर्स के विरुद् आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर पायेगी।

अमेरिका में Somos नामक संस्था टोल-फ्री नंबरों के पंजीकरण एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य करती है तथा ऐसे नंबरों के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसी प्रकार Traceback नामक संस्था संदिग्ध एवं धोखाधड़ीपूर्ण कॉलों के स्रोत एवं उनसे संबंधित तकनीकी जानकारी का पता लगाने में सहयोग प्रदान करती है। भारतीय एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी के आधार पर संबंधित अमेरिकी प्राधिकरण इन संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक विवरण प्राप्त कर आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।

विवेचना के दौरान संचालित कॉल सेंटर से संबंधित किरायानामा भी प्राप्त हुआ है। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त किरायानामा Solaris Solution के नाम पर न होकर Xicom Technologies के नाम पर निष्पादित है, जिसका विधिक स्वामित्व गिरफ्तार अभियुक्त नायकर जयराज से संबंधित पाया गया है।

प्रकरण में हवाला लेन-देन एवं धन के प्रवाह (Money Trail) की भी गहन जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जारीकर्ता

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) कार्यालय

पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

INDUSTRY TRACEBACK GROUP

Home

What is the Industry Traceback Group?

Since its establishment in 2015 by USTelecom | The Broadband Association, the Industry Traceback Group (ITG) has played a central and ever-growing role in the battle against illegal calls, including illegal robocalls.

Each day, companies from across the wireline, ... calls. The illegal call campaigns targeted by the

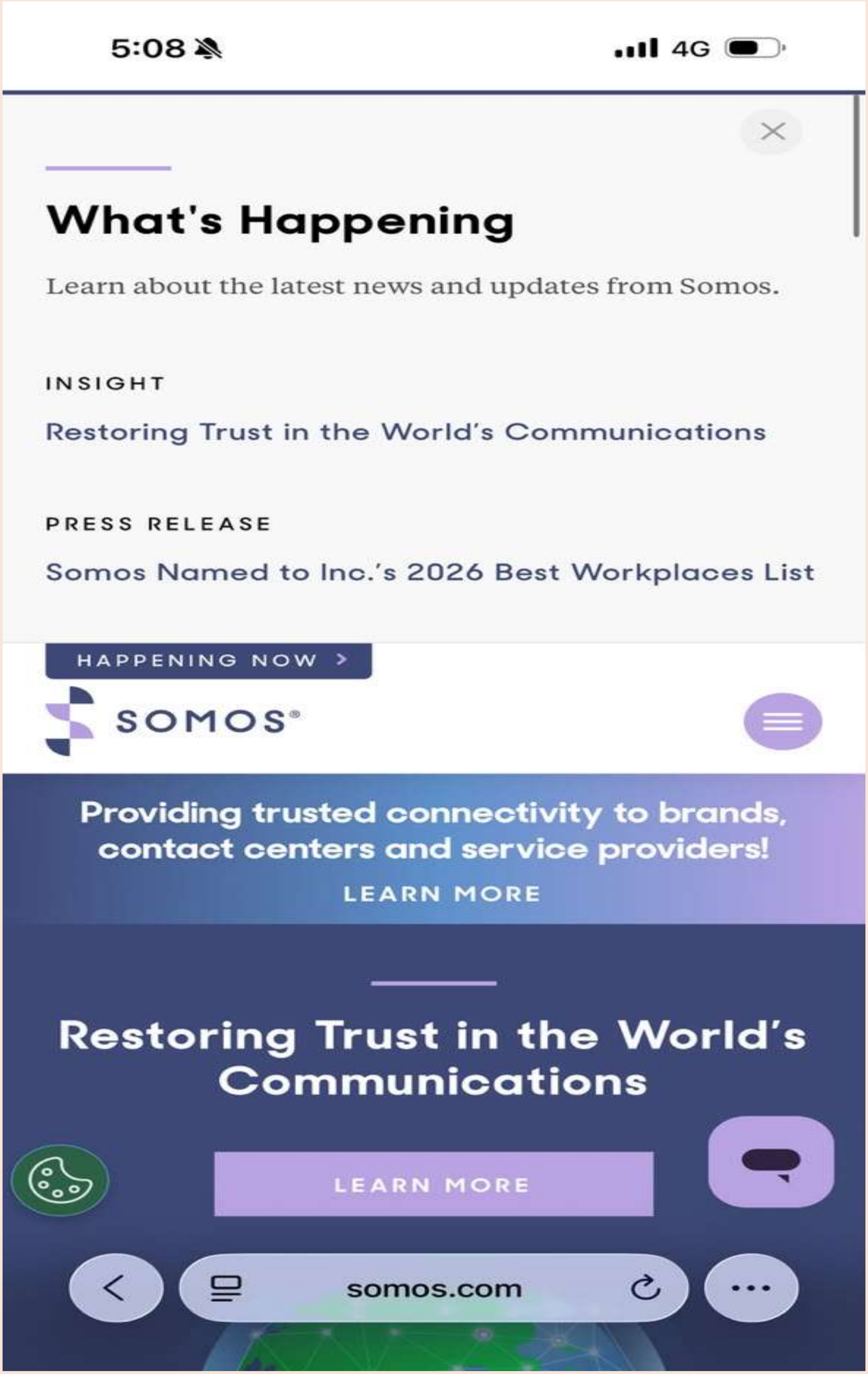
5:08
4G
What's Happening
Learn about the latest news and updates from Somos.
INSIGHT
Restoring Trust in the World's Communications
PRESS RELEASE
Somos Named to Inc.'s 2026 Best Workplaces List
HAPPENING NOW >
SOMOS®
Providing trusted connectivity to brands, contact centers and service providers!
LEARN MORE
Restoring Trust in the World's Communications
LEARN MORE
somos.com

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1166
दिनांक-14.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा, चोरी करने वाले 02 शातिर चोर /अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 05 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **13.07.2026** को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **राकेश** को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ एवं उसकी निशानदेही पर उसके कब्जे से चोरी की **तीन मोटरसाइकिलें** क्रमशः सं0-UP32GK3595 स्पलेण्डर काले रंग व UP32W1354 पैशन प्रो रंग काला व UP32CH3157 स्पलेण्डर प्लस रंग काला बरामद की गयी।

इसके उपरांत दिनांक **13.07.2026** को अभियुक्त से की गई गहन पूछताछ में उसने अपने साथी **सुनील** एवं **मनीष** के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की। अभियुक्त राकेश की निशानदेही पर पुलिस टीम ने सह-अभियुक्त **सुनील** के घर पर दबिश देकर उसके कब्जे से **दो अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें** क्रमशः UP32GW3143 हीरो ग्लैमर व मोटरसाइकिल नम्बर UP32FD1960 स्पलेण्डर प्रो के सम्बन्ध में थाना इटौंजा पर मु0अ0सं0 100/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया बरामद की गयी।

इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा कुल **05 चोरी की मोटरसाइकिलें** बरामद की गईं। बरामद सभी वाहनों को नियमानुसार थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।

इस कार्यवाही में पुलिस ने अभियुक्त **राकेश पुत्र राजकुमार** निवासी ग्राम सैदापुर मजरा मझगांव गदौरा, थाना सण्डीला, जनपद हरदोई तथा **सुनील पुत्र स्व0 छेदीलाल** निवासी ग्राम अटवाबरी डांडा, थाना सण्डीला, जनपद हरदोई को दिनांक 14.07.2026 को समय करीब 02.25 बजे गिरफ्तार किया है। पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्त तीसरे अभियुक्त **मनीष** निवासी ग्राम नवीपनाह, थाना माल, लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया

बरामदगी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना रहीमाबाद पर **मु0अ0सं0 105/2026** धारा **317(2)/238/318(4) BNS** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01.राकेश पुत्र राजकुमार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सैदापुर मजरा मझगाँव गदौरा थाना सण्डीला जनपद हरदोई,
02.सुनील पुत्र स्व0 छेदीलाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम अटवाबरीडान्डा थाना सण्डीला जनपद हरदोई

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण

1. **मु0अ0सं0 105/2026** धारा **317(2)/238/318(4) BNS थाना रहीमाबाद लखनऊ**
2. मु0अ0सं0 100/2026 धारा 303(2) थाना इटौंजा लखनऊ

04-बरामदगी-

01 अदद स्पलेण्डर सं0-UP32GK3595

01 अदद पैशन प्रो सं0- UP32W1354

01 अदद स्पलेण्डर प्लस सं0- UP32CH3157

01 अदद हीरो ग्लैमर सं0- UP32GW3143

01 अदद स्पलेण्डर प्रो सं0-UP32FD1960

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामसेवक राणा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
3. आरक्षी सोबित थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
4. आरक्षी पवन कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
5. महिला आरक्षी रूबिया थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1163
दिनांक-14.07.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- सआदतगंज

- **थाना सआदतगंज व सर्विलांस पश्चिमी की संयुक्त पुलिस द्वारा गुमशुदगी प्रकरण का सफल अनावरण।**
- **हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी संरक्षण में लिया गया।**

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 14.07.2026 को थाना सआदतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2026 धारा 103(1)/140(1)/3(5)/238/61(2)(क) बीएनएस में वांछित 01-मुस्कान उर्फ सैय्यद आफरीन पत्नी सुमित उर्फ गोलू पुत्री नबी रसूल नि0 283/26 हरचन्द्रपुरी गढी कनौरा मानकनगर लखनऊ उम्र-21वर्ष, 2. सुमित गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र लालजी गुप्ता नि0 368/4 क लकडमण्डी थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र- 26 वर्ष को गिरफ्तार तथा बाल अपचारी (उम्र करीब 17 वर्ष) को संरक्षण में लिया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक **17.06.2026** को वादी श्री आसिफ पुत्र स्व० रमजान अली निवासी चिक मंडी, हरी मस्जिद के सामने, थाना सआदतगंज, लखनऊ द्वारा अपने 18 वर्षीय पुत्र **मो० सैफ** की गुमशुदगी के संबंध में थाना सआदतगंज पर गुमशुदगी संख्या **44/2026** दर्ज कराई गई थी।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना सआदतगंज पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा गहन जांच एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदा के संपर्क में रहे व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ की गई। जांच के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक **15.06.2026** को मो० सैफ अपने एक बाल अपचारी मित्र के साथ मोटरसाइकिल से बाराबंकी जा रहा था। थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी क्षेत्रान्तर्गत **हिन्द मेडिकल** के पास सड़क दुर्घटना होने पर मो० सैफ गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि दुर्घटना के बाद अभियुक्तगण घायल मो० सैफ को उपचार कराए बिना घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए तथा घटना की सूचना न तो परिजनों को दी और न ही पुलिस को, जिससे साक्ष्य छिपाने एवं विधिक कार्रवाई से बचने का प्रयास किया गया।

थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा जनपद बाराबंकी पुलिस से समन्वय स्थापित कर जानकारी प्राप्त की गई, जिससे ज्ञात हुआ कि स्थानीय पुलिस द्वारा घटना के दिन घायल मो० सैफ को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी पुलिस द्वारा नियमानुसार शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई अज्ञात शव के रूप में संपन्न कराई गई थी।

मृतक की पहचान एवं मृत्यु की पुष्टि होने के उपरांत मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर थाना सआदतगंज पर **मु0अ0सं0 162/2026** धारा **103(1)/140(1)/3(5)/238/61(2)(क) BNS** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक **14.07.2026** को थाना सआदतगंज पुलिस ने वांछित अभियुक्ता **मुस्कान उर्फ सैय्यद आफरीन (उम्र 21 वर्ष)** एवं अभियुक्त **सुमित गुप्ता उर्फ गोलू (उम्र 26 वर्ष)** को **रेड पैथ लैब** के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में संलिप्त एक **बाल अपचारी (उम्र लगभग 17 वर्ष 06 माह)** को विधिक प्रावधानों के तहत संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार व संरक्षण में लिये गये अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मुस्कान उर्फ सैय्यद आफरीन पत्नी सुमित उर्फ गोलू पुत्री नबी रसूल नि0 283/26 हरचन्द्रपुरी गढी कनौरा मानकनगर लखनऊ उम्र-21 वर्ष,

2.सुमित गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र लालजी गुप्ता नि0 368/4 क लकडमण्डी थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र- 26 वर्ष

3. बाल अपचारी (उम्र करीब 17 वर्ष 06 माह)

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-162/2026 अंतर्गत धारा 103(1)/140(1)/3(5)/238/61(2)(क) BNS थाना सआदतगंज लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त सुमित उर्फ गोलू गुप्ता उपरोक्त

क्र0सं	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	283/2020	147/452/323/506 भादवि	सआदतगंज
2	48/2021	147/452/323/504/506/427 भादवि	सआदतगंज
3	647/2022	342/323/506 भादवि	ठाकुरगंज
4	वाद सं0 317(177)/2023	3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम	सआदतगंज
5	20/2025	115(2), 324(4), 352 बीएनएस	तालकटोरा
6	003/26	115(2), 351(2), 352 बीएनएस	सआदतगंज

मुस्कान उर्फ सैय्यद आफरीन पत्नी सुमित उर्फ गोलू पुत्री नबी रसूल उपरोक्त

क्र0सं	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	220/2025	115(2), 324(4), 352 बीएनएस	तालकटोरा
2	109/2026	118(1)8351(2)/352 बीएनएस	सआदतगंज

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01.प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्य थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ

02.म0उ0नि0 गौरव कुमारी थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ

03.उ0नि0 चन्द्रकान्त यादव थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ

04.का0 कार्तिकेय सिंह थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ

05.का0 बृजेश कुमार थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ